Order Sheet (Contd)

II-156
C.J.

Case No. .... of 20 ....

Date of Order of Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
24.06.2026	यह प्रकरण माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय इंदौर के आदेशानुसार केन्द्रीय पंजीयन कार्यालय से अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। जयपत्रधारी द्वारा श्री अशोक सोलंकी अधिवक्ता। यह प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होकर निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। जयपत्रधारी 03 दिवस मे प्रोसेस पेश करें तो निर्णितऋणी के विरूद्ध सूचना पत्र जारी किया जावे, रजिस्टर्ड डाक व्यय अदा होने पर रजिस्टर्ड डाक से भी सूचना पत्र जारी किया जावे। प्रकरण निर्णितऋणी की उपस्थिति हेतु दिनांक 24/7/26 को पेश हो। (मनोज कुमार राठी) इकतीसवें जिला न्यायाधीश,इंदौर	
पुनश्च	जयपत्रधारी की ओर से श्री अशोक सोलंकी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रकट किया गया है कि इस प्रकरण के संबंध मे उन्हें निर्णितऋणी से कोई और राशि लेना शेष नही है. उनको पूर्ण संतुष्टि हो गई है.अतः प्रकरण समाप्त किया जावे। जयपत्रधारी की पूर्ण संतुष्टि हो जाने से यह प्रकरण पूर्ण संतुष्टि मे समाप्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम दर्ज किया जाकर नियत अवधि मे अभिलेख, अभिलेखागार मे जमा किया जावे। 24/6/26 (मनोज कुमार राठी) इकतीसवें जिला न्यायाधीश,इंदौर	[illegible] 24/6/26

MANOJ KUMAR RATHI

Digitally signed by MANOJ KUMAR RATHI
Date: 2026.06.24 17:05:26 +0530